

# कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- [bsp.jd18@gmail.com](mailto:bsp.jd18@gmail.com) फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./SKT-E /2022/20-490  
प्रति,

बिलासपुर दि. 13.09.2022

प्रबंधक/प्राचार्य  
चन्द्रहासिनी विद्यापीठ मिरौनी  
वि.ख.डभरा, शै.जिला-सक्ती (छ.ग.)


विषय :- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।  
संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र क. 432 दि. 01.08.2022

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती के पत्र क./235/अनु.मान्य./सक्ती, दि. 21.01.2019 एवं छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. F-6-04/2020/20-3 नवा रायपुर दिनांक 23.04.2020 के संदर्भ में सहायक संचालक श्री जे.के बावरे (कार्यालयीन) एवं नोडल प्राचार्य (RTE) श्री नागेन्द्र पटेल शा.एस.बी.एस.उ.मा.वि.चन्द्रपुर,वि.ख. डभरा, शै.जिला सक्ती के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर चन्द्रहासिनी विद्यापीठ मिरौनी वि.ख.डभरा, शै.जिला-सक्ती (यू डाईस 22060510004) को नर्सरी से आठवी तथा कक्षा 09 वी एवं कक्षा 10 वी सत्र 2022-23 एक वर्ष के लिये (अंग्रेजी माध्यम शाला/सी.बी.एस.ई.बोर्ड) अनंतिम नवीन मान्यता प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ.-02-39/2019/20 -दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :-

## मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वी तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :-
  - विद्यालय का भवन-प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
  - खेल का मैदान।
  - प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक - पृथक कक्ष।
  - स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।

- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।
  - द्विव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
  - प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
  - कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
  - शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
  - बाधारहित पहुंच मार्ग , आदि
  - क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक - पृथक उपलब्धता।
6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
  7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
  8. आपके विद्यालय को यू डार्स -22060510004 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
  9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय /संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
  10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
  11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
  12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।


  
 संयुक्त संचालक  
 शिक्षा संभाग बिलासपुर  
 छत्तीसगढ़

पृ. क/अशास./मान्य.नवीनी./ SKT-E /2022/20- 490A

बिलासपुर दि. 13.09.2022

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती (छ.ग.) को सूचनार्थ।

  
 संयुक्त संचालक  
 शिक्षा संभाग बिलासपुर  
 छत्तीसगढ़